न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/135/19	15–10–2019	16–12–2019

1. फारूख पुत्र जुम्मा
2. इरफान पुत्र जुम्मा जाति फकीर निवासी ग्राम रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार तिजारा जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार तिजारा दिनांक 22–12–2015 प्रकरण संख्या 64/15

उपस्थितः–

01. श्री दिनेश कुमार यादव –वकील अपीलान्ट्स
02. विभागीय प्रतिनिधि

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट्स ने यह अपील नायब तहसीलदार, तिजारा के आदेश दिनांक 22–12–2015 जिसके द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 715 रकबा 0.48 हैक्टर वाके ग्राम रभाना तहसील तिजारा का अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने एवं सिविल कारावास के आदेश दिये गये हैं, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलीय आदेश अपीलान्ट की गैर जानकारी व गैर मौजूदगी में पारित किया गया है, अपीलान्ट द्वारा जवाब पेश करने के बाद अपीलान्ट हाजिर अदालत नही हुए और निर्णय पारित कर दिया। पटवारी हल्का रभाना ने एक रिपोर्ट तहत अदालत के समक्ष पेश की ग्राम रभाना के आराजी खसरा नम्बर 715 रकबा 0.48 है0 गैरमुमकिन रास्ता में से 0.04 है भूमि पर अतिक्रमी अपीलान्ट ने कपास व 0.02 है0 भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। विवादित रास्ता पर अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नही किया है विवादित रास्ता की भूमि के अगल बगल हमारी खातेदारी की भूमि है जिस पर ही हम काबिज है रास्ता चालू है। अपीलान्ट को बेला परेशान करने के लिए पटवारी हल्का से मिलकर अपीलान्ट के खिलाफ मिथ्या बनाकर तहत अदालत के समक्ष पेश कराई है। तहत अदालत ने मौके की जांच नही की गई है। तहत अदालत को पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए धारा 91(3) एल0आर0एक्ट के तहत अतिक्रमी को नोटिस दिया जाना आवश्यक है, जो अपीलान्ट को नहीं दिया गया। तहत अदालत द्वारा विवादित आराजी की पैमाईश नहीं की है, क्योकि विवादित आराजी खसरा काफी बडा रकबा है जो बिना पैमाईश से साबित हो सकता है कि किस तरफ कितने रकबे पर अपीलान्ट का कब्जा है। माननीय राजस्व मण्डल की अनेको नजीरों में यह सिद्वान्त प्रति पादित किया गया है कि जहां बडे रकबे में अतिक्रमी द्वारा कोई छोटा रकबा पर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अतिक्रमण किया हुआ है वह किसी तरफ पैमाईश करके पहिचान नही कराई गई है तो ऐसी रिपोर्ट के आधार पर अदालत तहत द्वारा किया गया अपीलीय निर्णय न्यायोचित नहीं माना है। अपीलान्ट को पूर्व में ना तो बेदखल किया गया है ना ही इस बाबत पत्रावली पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य था जैसे पूर्व में बेदखल करने का निर्णय की सत्य प्रतिलिपि। तहत अदालत ने बिना निर्णय की प्रतिलिपि पश्चातवर्ती अतिक्रमी मनाते हुए 3 माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। धारा 91(3) एल0आर0एक्ट के तहत कोई प्रावधान तब तक पश्चातवर्ती अतिक्रमण स्पष्टतया साबित नही हो न्यायसंगत नहीं है। विवादित आराजी एवं उसके साथ अपीलान्ट की पास लगती हुई खातेदारी की आराजी की पैमाईश करवाई जावें जिससे अपीलान्ट को न्याय प्राप्त हो सकें। आलोच्य निर्णय की जानकारी थाना से सिपाई अपीलान्ट के धर आने पर दिनांक 16.2.16 को हुई जिस पर उसी दिन नकल के लिए आवेदन किया व नकल प्राप्त कर तथा अपील तैयार कराकर कानूनी सलाह लेकर प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियादके साथ अपील पेश की गई है अतः विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें तथा अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जावें।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता है। न्यायालय द्वारा तहसीलदार तिजारा से मौका निरीक्षण स्वयं कर रिपोर्ट ली की अपीलान्ट ने मौके पर से भौतिक रूप से अतिक्रमण हटा लिया है अथवा नहीं मौके के छाया–चित्र भी अपनी रिपोर्ट के साथ भिजवावें। जिस पर तहसीलदार तिजारा द्वारा विवादित रास्ते की जांच की अपीलान्ट द्वारा रकबा 0.01 है0 में सूखी ईटें लगा रखी है बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है छाया–चित्र के प्रेषित की है। अपीलान्ट का लगातार पुराना कब्जा होना प्रमाणित होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारित फरमाई जावें।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलांट ने आदेश दिनांक 22–12–2015 के विरूद्व यह अपील देरी की अवधि दिनांक 22.12.15 से 16.02.2016 तक कण्डोन किया जाने हेतु विलम्ब को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद का पेश कर निवेदन किया है। उसके बाद अपील की स्वीकृति लेकर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की है। विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें एवं स्वीकार फरमाई जावें। अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित रास्ता पर अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नही किया है विवादित रास्ता की भूमि के अगल बगल हमारी खातेदारी की भूमि है जिस पर ही हम काबिज है रास्ता चालू है। अपीलान्ट को बेला परेशान करने के लिए पटवारी हल्का से मिलकर अपीलान्ट के खिलाफ मिथ्या बनाकर तहत अदालत के समक्ष पेश कराई है। तहत अदालत ने मौके की जांच नही की गई है। तहत अदालत को पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए धारा 91(3) एल0आर0एक्ट के तहत अतिक्रमी को नोटिस दिया जाना आवश्यक है, जो अपीलान्ट को नहीं दिया गया। तहत अदालत द्वारा विवादित आराजी की पैमाईश नहीं की है, क्योकि विवादित आराजी खसरा काफी बडा रकबा है जो बिना पैमाईश से साबित हो सकता है कि किस तरफ कितने रकबे

पर अपीलान्ट का कब्जा है। तहत अदालत की पत्रावली व तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का रभाना द्वारा कपास 0.04. पक्का मकान 0.02 पर अपीलान्ट को मु0नं0 45/12 निर्णय दिनांक 28.2.13 से बेदखल कर पुनः कब्जा किया कपास व पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश की थी जिस पर अपीलान्ट को सुनवाई एवं जवाब तथा साक्ष्य पेश करने हेतु नोटिस जारी कर अपीलान्ट से जवाब प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। न्यायालय द्वारा तहसीलदार तिजारा से मौका निरीक्षण स्वयं कर रिपोर्ट ली की अपीलान्ट ने मौके पर से भौतिक रूप से अतिक्रमण हटा लिया है अथवा नहीं। जिस पर तहसीलदार तिजारा द्वारा पत्रांक 757 दिनांक 1.8.17 से अवगत कराया कि विवादित रास्ते की जांच की अपीलान्ट द्वारा रकबा 0.01 है0 में सूखी ईटें लगा रखी है बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है छाया–चित्र के प्रेषित की है। तहसीलदार तिजारा की मौका जांच व पटवारी हल्का रभाना की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश के अनुसार आराजी गैरमुमकिन रिकार्ड दर्ज है, जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर लगातार पुराना कब्जा प्रमाणित होता है। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार तिजारा का आदेश दिनांक 22–12–2015 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति तहत रिकॉर्ड के साथ नायब तहसीलदार, तिजारा को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16–12–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर
अलवर (राज०)